DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

Low number of seats for Forensic Science in Medical colleges

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, जिस तरह से कोरोना महामारी के समय हमारे डॉक्टर्स व नर्सिंग वर्कर्स द्वारा देश की सेवा की गई, वह काबिले-तारीफ है और इसके लिए पूरा देश उनको हाथ जोड़कर नमन करता है। परन्तु, आज मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूँ।

आज देश में यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में अज्ञात कारणों से मृत्यु होती है, तो इस तरह की हरेक परिस्थिति में वास्तविक मौत का कारण जानने के लिए उसका पोस्टमॉर्टम होना अनिवार्य होता है। इस पोस्टमॉर्टम की जो भी रिपोर्ट आती है, उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है तथा न्यायालय भी उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आधार मानकर अपना फैसला सुनाता है। जब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी जरूरी है, तब उसको तैयार करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए, जिन्होंने फोरेंसिक साइंस में पढ़ाई की हो। परन्तु, यह दुर्भाग्य है कि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में फोरेंसिक डॉक्टर्स की कमी होने के कारण अन्य विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा यह ड्यूटी की जा रही है। इस कार्य को ज्यादातर सफाई कर्मचारी व वॉर्ड ब्वॉयज़ करते हैं और डॉक्टर्स केवल खानापूर्ति करके इसकी रिपोर्ट पर सिग्नेचर कर देते हैं। जिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति की ज़िन्दगी निर्भर हो, वह महज़ खानापूर्ति के द्वारा तैयार की जा

रही है, जिससे उसके कार्यान्वयन पर असर दिखाई पड़ता है और रिपोर्ट में त्रुटि होने की संभावना बन जाती है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल में फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स की सीट्स की संख्या को बढ़ाए, जिससे पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही तैयार करें। वास्तविक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट होने से पीड़ित को उचित न्याय मिल सकेगा तथा साथ ही साथ हर जिले में AC mortuary का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है, धन्यवाद।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापति : प्रो. मनोज कुमार झा। आपके बाद छाया वर्मा जी भी हैं, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा।

Need to include caste-based socio-economic parameters in Census, 2021

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : सर, सौहार्दपूर्ण बंटवारा रहेगा। महोदय, इस विषय को आपके संज्ञान में लाने का अक्सर देने लिए पुनः धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में पहले भी यह बात रखी थी कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है? एक बार हमने जनगणना की थी, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च किए और कहा कि data manipulate हो गया। इस आधुनिक युग में अगर ऐसा हो रहा है तो यह विडम्बना की परिस्थिति है। मेरा आग्रह है कि अभी sub-categorization की बात हो रही है, एक कमीशन को बार-बार extension मिला है। महोदय, दुनिया के किसी भी मुल्क में affirmative action या reverse discrimination में जब कोई बदलाव होता है तो evidence generate किया जाता है। हमारे यहां वह evidence कहां है, वह evidence कहां से आएगा? वह evidence तभी आएगा, जब हम SECC data लें - चूंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 50 परसेंट सीलिंग को revisit करें। सर, सीलिंग को revisit करना, sub-categorization - आदि के लिए आवश्यक है कि जब वर्ष 2021 की जनगणना हो, तब जातिगत जनगणना हो, उसमें ये मुद्दे जोड़े जाएं, देश में अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग दलों के बीच में एक आम राय है कि यह पता चले कि ठेला चलाने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सब्ज़ी बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, श्रम को औने-पौने दाम पर बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, खेतिहर मज़दूर की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है।

सभापति महोदय, यहां सरकार के वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हुए हैं, मेरा आग्रह है कि कृपापूर्वक इसको करवाइए, ताकि जब आप वर्गीकरण करें, तब आपके पास evidence हों, धन्यवाद, जय-हिन्द।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।